## <u>अध्यायदेश संख्या 10</u> वित्त अधिकारी की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

- 1. वित्त अधिकारी एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती के आधार पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को कार्य परिषद् द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है (चयन प्रक्रिया के समुचित अनुपालन उपरांत) और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा। तथापि प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति को कार्य परिषद् व्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है (चयन प्रक्रिया के समुचित अनुपालन उपरांत) और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा। तथापि प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजीटर) द्वारा की जायेगी और वह तीन साल की समयावधि के लिए अपने कार्यालय में सेवारत रहेगा।
- 2. ज्ञातव्य है कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- 3. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो उसके पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है।
- 4. यदि वित्त अधिकारी सरकार अथवा किसी अन्य संगठन / संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
- वित्त अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।
- वित्त अधिकारी को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।
- वित्त अधिकारी की सेवा, छुट्टी, भत्ता, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के निबंधन और शर्तें वही होंगे जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किए जाएँगे।
- 8. वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा, लेकिन इस समिति का सदस्य नहीं होगा।
- 9. वित्त अधिकारी द्वारा :
- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह दी जायेगी ।
- (ख) कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गए या परिनियम अथवा अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित अन्य वित्तीय कार्यों का उसके द्वारा निष्पादन किया जाएगा।
- 10. कार्य परिषद् के नियंत्रणाधीन वित्त अधिकारी के निम्नालिखित दायित्व भी होंगे –
- (क) विश्वविद्यालय के ट्रस्ट (न्यास) और दयानिधि संपत्ति सहित सभी संपत्तियों और निवेशों को संचालित और प्रबंधित करना।
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए निर्धारित आवर्ती और गैर–आवर्ती ब्याज सीमा से अधिक न हो और सभी धनों का व्यय उन्हीं उद्देश्यों के लिए हो जिनके लिए उन्हें स्वीकृत या आबंटित किया जाता है।
- (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बज़ट के निर्माण के लिए और कार्य परिषद् में इनकी प्रस्तुति का उत्तरदायित्व उस पर होगा।
- (घ) नगद और बैंक शेष की स्थिति और निवेशों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखना।
- (ड.) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर निगरानी रखना और प्रयोग में लाए जा रहे संग्रहण तरीकों पर सलाह देना।
- (च) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों का अद्यतन रखरखाव किया जाए और सभी कार्यालयों,
  विभागों, केन्द्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं के उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्री के स्टॉक की जाँच की जाए।

- (छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की सूचना में लाना और चूक करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देना, और
- (ज) किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान से सूचना अथवा विवरणी, जो वह अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यवक समझे, की माँग करना।
- वित्त अधिकारी द्वारा अथवा कार्य परिषद् द्वारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय को देय किसी धन के लिए दी गई रसीद के एवज में समुचित भुगतान अर्जित किया जाना।

## **ORDINANCE NO: 10**

## EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE FINANCE OFFICER

1. The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

However, the First Finance Officer shall be appointed by the Visitor and shall hold office for a term of three years.

- 2. Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.
- 3. When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- 4. In case the Finance Officer is appointed on deputation from the Government or any other Organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of Government of India. Provided that the Finance Officer appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- 5. The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.
- 6. Finance Officer shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.
- 7. The terms and conditions of service, leave, allowances, provident fund and other terminal benefits of the Finance Officer shall be such as prescribed by the University from time to time for its non-vacation staff.
- 8. The Finance Officer shall be ex officio Secretary of the Finance committee, but shall not be its member.
- 9. The Finance Officer shall:
- a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy;
- b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.
- 10. Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall:
- a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
- b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

- c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
- d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
- e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
- f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stockchecking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Centres and Specialized Laboratories;
- g) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and
- h) call for from any office, Department, Centre, Laboratory, College or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.
- 11. Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorized in this behalf by the Executive council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.